मैसर्स एस. आर. एफ. लिमिटेड

बनाम

मैसर्स गारवेयर प्लास्टिक्स एंड पॉलिस्टर्स लिमिटेड और अन्य 7 मार्च, 1995

[के. रामास्वामी और एन. वेंकटचाला, न्यायाधिकरण]

बीमार औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985:

धाराये 3 (1) (0), 15 (1), 16,17 (1), 17 (3), 18,21 और 28 - बीमार औद्योगिक कंपनी - का पुनरुद्धार - इच्छुक व्यक्ति - संचालन एजेंसी बीमार कंपनी के पुनरुद्धार में रुचि दिखाने वाले पक्षकारों से प्रस्ताव आमंत्रित कर रही है - प्रत्यर्थी और एक अन्य कंपनी जो अपनी योजनाओं को 'स्टैंड अलोन' के आधार पर प्रस्तुत कर रही है-अपीलकर्ता ने बीमार कंपनी के साथ विलय के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया - प्रत्यर्थी की योजना को अस्वीकार कर दिया गया - औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड ने विलय योजना को मंजूरी देते हुए - प्रत्यर्थी ने बोर्ड के अंतिम आदेश के खिलाफ अपील दायर करने के अलावा इस मामले में कोई रुचि नहीं दिखाई - अभिनिर्धारित, प्रत्यर्थी कोई इच्छुक व्यक्ति नहीं है - इसने बोर्ड-केंद्र सरकार और प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा विलय योजना में

आवश्यक पक्षकारो द्वारा वर्जित आदेशों को सहमति से स्वीकार कर लिया है और नोटिस दिया जाना चाहिए।

प्रतिवादी सं. 4 (सिविल अपील सं. 3277/95 में) एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी थी। अगस्त 1990 से इसे बंद कर दिया गया था और 6.12.1991 को औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी. आई. एफ. आर.) द्वारा बीमार औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 के तहत एक बीमार कंपनी घोषित की गई थी, भारतीय औद्योगिक वित्तीय निगम (आई. एफ. सी. आई.) को 15.5.1992 को बीमार कंपनी को प्नर्जीवित करने के लिए एक वित्तीय पैकेज तैयार करने के लिए संचालन एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया था। आईएफसीआई ने इच्छ्क पक्षों को 15.5.1992 से पहले अपने प्नरुद्धार प्रस्ताव प्रस्त्त करने के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए। तीन कंपनियो : नाम क्रमश: अपीलकर्ता और प्रतिवादी संख्या 1 (सिविल अपील संख्या 3277/95 में) और असम एस्बेस्टस लिमिटेड ने अपनी योजनाएं प्रस्तुत कीं। प्रतिवादी संख्या 1 और असम एस्बेस्टस लिमिटेड द्वारा प्रस्त्त योजनाएं 'स्टैंड अलोन' आधार पर थीं। जबिक अपीलार्थी का प्रस्ताव बीमार कंपनी के साथ विलय के लिए था। प्रतिवादी संख्या 1 के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया था। इसके बाद प्रतिवादी संख्या 1 ने मामले में कोई रुचि नहीं दिखाई। यह न तो सुनवाई के समय बी. आई. एफ. आर. के समक्ष उपस्थित हुआ न ही इसने

संचालन एजेंसी के किसी भी सूचना का जवाब दिया। अंततः दिनांक 23.4.93 के आदेश द्वारा, बी. आई. एफ. आर. ने अपीलार्थी की बीमार कंपनी के पुनरुद्धार की योजना को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 72 के तहत कुछ टिप्पणियों के साथ लाभों के संबंध में मंजूरी दी। तथापि, अपीलार्थी द्वारा स्पष्टीकरण दिए जाने पर धारा 72 ए के तहत लाभ के रूप में त्यागने पर, बोर्ड ने आदेश को संशोधित किया और अपने आदेश दिनांक 19.11.1993 के द्वारा विलय को मंजूरी दी, और योजना पर आपित्तयों या सुझावों की सुनवाई के लिए दिनांक 27.1.1994 नियत करते हुये प्रारूप योजना के प्रसार और प्रकाशन का निर्देश दिया।

प्रत्यर्थी संख्या 1 ने बीआईएफआर द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.11.1993 के खिलाफ औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण के लिये अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष अपील दायर की। इसने अपनी बॉम्बे उच्च न्यायालय की ओरंगाबाद पीठ के समक्ष एक रिट याचिका भी दायर की थी, जिसमें कोई न्यायिक क्षेत्रीय अधिकार नहीं था। अपीलीय प्राधिकरण ने 28.1.94 को अपील को खारिज कर दिया। इसके बाद प्रतिवादी संख्या 1 ने रिट याचिका में संशोधन किया, जिसे दिल्ली उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया।

उच्च न्यायालय ने राय दी कि प्रतिवादी संख्या 1 एक इच्छुक व्यक्ति था जो बीमार कंपनी के पुनरुद्धार में गहरी रुचि रखता था। इसने रिट याचिका को स्वीकार किया और बी. आई. एफ. आर. और अपीलीय प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.11.1993 और अन्य आदेशों को यह मानते ह्ए अपास्त कर दिया कि वे प्राकृतिक न्याय और निष्पक्ष कार्यान्वयन के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हैं। इसने यह भी माना कि चूंकि विलय योजना में केंद्रीय राजकोष की कीमत पर भारी वित्तीय त्याग करना पड़ता है, इसलिए केंद्र सरकार या केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को बिना किसी सूचना के बीमार कंपनी को प्नर्जीवित करने का आदेश कानून की दृष्टि से गलत था। पीड़ित कंपनी ने अपने विलय द्वारा बीमार कंपनी के प्नरुद्धार की मांग करते ह्ए सिविल अपील संख्या 3277/95 दायर की और बीमार कंपनी ने उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते ह्ए सिविल अपील संख्या 3275/95 दायर की। बीमार कंपनी के एक शेयरधारक ने भी बीमार कंपनी के विलय की पृष्टि करने वाले अपीलीय प्राधिकरण के आदेश के खिलाफ एक और अपील (सीए नंबर 3276/95) दायर की।

सिविल अपील सं. 3277/95 और 3275/95 में अपीलकर्ता कंपिनयों के लिए यह तर्क दिया गया था कि प्रतिवादी सं. 1 के आचरण से पता चलता है कि वह एक इच्छुक पक्ष नहीं था क्योंकि उसने अपनी प्रारंभिक योजना की अस्वीकृति के बाद कभी भी रूचि नहीं दिखाई और न ही उसने कोई नया प्रस्ताव प्रस्तुत किया। वास्तव में यह एक व्यापारिक प्रतिद्वंदी था जिसके व्यापारिक हित थे और वह बीमार कंपिनी के पुनरुद्वार को लंबे

समय तक बढ़ाने में रुचि रखता था ताकि इसे प्रतिस्पर्धा से दूर रखा जा सके; कि बी. आई. एफ. आर. का निर्णय सही था क्योंकि प्रस्तावना और अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार एक बीमार कंपनी का पुनरूद्धार तेजी से किया जाना चाहिये ताकि श्रमिकों को वित्तीय कठिनाई से और राज्य को राजस्व की हानि से बचाया जा सके।

दोनों कंपनियों द्वारा दायर अपीलों को स्वीकार करते हुए और शेयरधारक की अपील को खारिज करते हुए, इस न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया :

1. प्रतिवादी नंबर 1 इच्छुक व्यक्ति नहीं है। हालांकि प्रतिवादी नंबर 1 को औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड द्वारा उठाये गये कदमो और पारित आदेशों के बारे में सूचित किया गया थ, लंकिन उसने स्टेंड अलोन के आधार या किसी अन्य वैकल्पिक योजना के आधार पर बीमार कंपनी के पुनरूद्धार में कोई रूचित नहीं दिखाई। संचालन एजेंसी के संचार का जवाब न देनेऔर अलग अलग तारीखों पर बोर्ड के सामने उपस्थित न होने के उसके लगातार आचरण से यह स्थापित होता है कि शुरू में प्रस्तुत की गई उसकी योजना को अस्वीकार करने के बाद उसने इस माले में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा प्रकट की गई प्रारंभिक रूचित के लियेउसने बोर्ड द्वारा पारित आदेशा को अपने आचरण से स्वीकार कर लिया था, और इस तरह केवल दो व्यक्ति अर्थात अपीलकर्ता

और असम एस्बेस्टस लिमिटेड मैदान में बने रहे और बाद वाले ने आदेश को चुनौती नहीं दी। अपीलार्थी निर्विवाद रूप से एक स्वस्थ कंपनी थी और बीमार कंपनी को पुनर्जीवित करने की इसकी क्षमता पर कोई संदेह नहीं था। इसकी पूरी योजना बीमार कंपनी के साथ विलय के लिए थी। इसलिए, बीमार कंपनी के पुनरुद्धार के लिए अपीलार्थी के साथ विलय की संचालन एजेंसी की योजना को मंजूरी देने वाले बोई द्वारा पारित आदेश में कोई त्रृटि नहीं पाई जा सकती है। उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से यह अभिनिर्धारित करने में त्रृटि की कि यद्यपि प्रत्यर्थी संख्या 1 पक्ष में खड़ा रहा, फिर भी वह एक इच्छुक व्यक्ति नहीं था और बीमार कंपनी के साथ विलय के लिए अपीलार्थी की योजना को स्वीकार करने से पहले सुनवाई का हकदार था। [577 - डी-एच, 578-ए-बी]

2. विधायी मंशा जो अधिनियम की धारा 17 (1) , 18 (1) और 26 से स्पष्ट हो जाता है वह यह है कि बीमार या संभावित रूप से बीमार उद्योग का समय पर पता लगाया जाना चाहिए। बीमार या संभावित रूप से बीमार कंपनी के पुनरुद्धार और पुनर्वास के लिए कार्यवाही समय सीमा के भीतर तेजी से पूरी की जानी चाहिए और यदि अपरिहार्य हो, तो यह उसके बाद एक उचित समय, जेसे 6 महीने के भीतर किया जाना चाहिए। विशेष रूप से प्रतिद्धंदी कंपनियों द्वारा बीमार कंपनी या संभावित बीमार कंपनी के पुनर्वास को रोकने के लिए कार्यवाही को

विलंबकारी रणनीति के रूप में उपयोग करने की अनुमित नहीं दी जानी चाहिए। बोर्ड और अपीलीय प्राधिकरण और उच्च न्यायालय को प्रावधानों को प्रभावी रूप से लागू करना चाहिए, प्रक्रियात्मक प्रारूप का पालन करना चाहिए और समय सीमा के भीतर कार्यवाही को तेजी से अंतिम रूप देना चाहिए तािक न केवल भूखे श्रमिकों को बचाया जा सके जो बिना वेतन के बीमार कंपनी के पुनरुद्धार के लिए पीड़ा से इंतजार कर रहे हैं, बिल्क कंपनी द्वारा नुकसान का अनावश्यक संचय और राज्य को होने वाले राजस्व के नुकसान को टाला जा सके। [576 - बी-ई]

3. चूंकि विलय योजना, जिसे 1 अप्रैल, 1992 से प्रभावी किया गया था, में आयकर अधिनियम 1961 की धारा 70, 71 और 72 में उल्लिखित कर रियायतें और बिलदान शामिल हैं, केंद्र सरकार और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के समक्ष आवश्यक और उचित पक्ष हैं, औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को विलय योजना को अंतिम रूप देने और एक स्वस्थ कंपनी के साथ बीमार औद्योगिक कंपनी के विलय के लिए अपनी मसौदा योजना को मंजूरी देने से पहले केंद्र सरकार को नोटिस देना चाहिए था। स्वीकृत तौर पर दो पत्रों द्वारा अपीलार्थी ने आय-कर अधिनियम की धारा 72 ए के तहत लाभों का त्याग कर दिया था। अपीलार्थी के वकील ने उच्च न्यायालय में एक वचनपत्र दिया था और इस न्यायालय के समक्ष दोहराया था कि विलय योजना 1 अप्रैल 1994 से प्रभावी होगी।

नतीजतन, आयकर अधिनियम की धारा 70, 71 ओर 72 के तहत सेट ऑफ का लाभ हाशिए पर डाल दिया गया है और इसलिए सरकारी खजाने को कोई बड़ा राजस्व नुकसान नहीं होगा। कोई भी मामूली लाभ स्वस्थ कंपनी के साथ विलय के प्रस्ताव के परिणामस्वरूप होगा। इन अपीलों में और उच्च न्यायालय के समक्ष, उन्हें प्रतिवादी के रूप में शामिल किया गया है और एक वकील के माध्यम से सुना गया था, जिसने कहा है कि राज्य को राजस्व का कोई नुकसान नहीं होगा और आयकर अधिनियम की धारा 43- बी के तहत किसी भी आधार पर पुनर्जीवित कंपनी को लाभ दिया जाने के लिये बाध्य होगा। उस दृष्टि से, बोई द्वारा पारित और अपीलीय प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित आदेश हस्तक्षेप के लिए कानून की किसी भी त्रृटि से दृष्टित नहीं होते हैं। [578 - सी-एफ]

4. शेयरधारक द्वारा दायर की गई अपील वास्तविक प्रतीत होती है। 6 दिसंबर, 1991 की कार्यवाही द्वारा उन्हें और अन्य लोगों को सुनने के बाद, बोर्ड ने प्रतिवादी संख्या 4 को एक बीमार औद्योगिक कंपनी घोषित किया। उन्होंने उच्च न्यायालय में कोई कार्यवाही दायर करके उक्त आदेश को चुनौती नहीं दी थी। धारा 16 के तहत कार्यवाहियां प्रतिवादी संख्या 4 के निदेशक मंडल की रिपोर्ट ओर उसकी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के आधार पर शुरू की गई थी । उन्होंने बोर्ड द्वारा पारित अंतिम आदेश के खिलाफ अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष एक बहाने के रूप में अपील दायर करके

केवल रुचि का एक मुखौटा दिखाया है, जिस तारीख तक प्रतिवादी नंबर 1 ने पहले ही रिट कार्यवाही शुरू कर दी थी। उसके आचरण से रूचि का मुखौटा टूट गया है, जो इंगित करता है कि वह केवल प्रतिवादी नंबर 1 का दिखावा करने वाला है, जो प्रतिवादी नंबर 4 एक व्यापारिक प्रतिद्धंदी को देखने का इरादा रखता है, को पुनर्जीवित नहीं किया जाएगा ताकि वह इस क्षेत्र में बाजार का एकाधिकार बनाए रख सके। इसलिए, वह केवल प्रतिवादी संख्या 1 के हाथों में एक पिडू है और उसकी अपील रुपये 25 हजार की भारी लागत के साथ खारिज की जाने योग्य है। [578 - जी-एच, 579-ए-डी]

5. उच्च न्यायालय के आदेशों को अपास्त किया जाता है और अपीलीय प्राधिकरण और बोर्ड के आदेशा की पुष्टि रूपये 20 हजार की निर्धारित लागत के साथ पुष्टि की जाती है। सभी लागतों को उच्चतम न्यायालय की कानूनी सहायता समिति के पास जमा किया जाना है। [579 - ई]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार : सिविल अपील सं. 3277, 3275, 3276 / 1995

सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 1493/94 और ए. ए. आई. एफ. आर./ऐप संख्या 49/1994 में दिल्ली उच्च न्यायालय और औद्योगिक पुनर्निमाण और वित्तीय अपीलीय प्राधिकरण, नई दिल्ली में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 8.8.1994 और 27.9.1994 से ।

दीपांकर गुप्ता, सॉलिसिटर जनरल, अशोक महाजन, एफ. एस. नरीमन, डॉ; एस. घोष, बी.बी. आहुजा, अशोक देसाई, सोली जे सोराबजी, अजय बहल, एन गणपित, एम ए रंगास्वामी, सुश्री आर. रंगास्वामी, रणबीर चंद्रा, एस.एन.टेरडोल, श्री एस. गणेश आर. करंजावाला, पी. के. मिलक, भास्कर प्रधान, श्रीमती एम. करंजावाला, किरीट रावोल, अशोक माथुर और मुकुल मुद्गल, सुमंत बत्रा और सुश्री विजय लक्ष्मी मेनन, उपस्थित पक्षकारों के लिये।

न्यायालय का निर्णय के. रामास्वामी, न्यायाधिपति द्वारा दिया गया था।

अनुमति प्रदान की गई।

विशेष अनुमित द्वारा ये अपीलें 8 अगस्त 1994 को सिविल रिट याचिका संख्या 1493/1994 में दिये गये दिल्ली उच्च न्यायालय की खंडपीठ के निर्णय और आदेश से उत्पन्न हुई है। प्रत्यर्थी संख्या 3 और प्रत्यर्थी संख्या 4; अपीलार्थीगण हैं - मैसर्स फ्लोमोर पॉलिएस्टर लिमिटेड (संक्षेप में, 'फ्लोमोर') रिट याचिका में और तीसरा अपीलार्थी बी. पी. मित्तल एक शेयरधारक है। फ्लोमोर अगस्त 1990 से बंद था। इसके निदेशक मंडल द्वारा बीमार औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान)

अधिनियम, 1985 (संक्षेप में,' एस. आई. सी. ए.) की धारा 15 की उप-धाराओं (1) के तहत किये गये रेफरेंस के अनुसार फ्लोमोर को औद्योगिक और वित्तीय प्नर्निर्माण बोर्ड (संक्षिप्त में, 'बी. आई. एफ. आर.') के दवारा इसके आदेश 6.12.1991 के दवारा एक बीमार औदयोगिक कंपनी (संक्षेप में, 'बीमार') घोषित किया गया था । एस. आई. सी. ए. की धारा 17 (3) के तहत फ्लोमोर को प्नर्जीवित करने के लिए 30.9.92 की कट ऑफ तारीख के साथ एक वित्तीय पैकेज तेयार करने के लिये आई. एफ. सी. आई. (संक्षेप में, 'ओए ') को संचालन एजेंसी के रूप में निय्क्त किया गया था । उसके खंड (3) द्वारा, ओ. ए. को अन्य "स्वस्थ कंपनियों या अकेले आधार पर कंपनी के प्रबंधन में बदलाव" के साथ फलोमोर के विलय की व्यवहार्यता की जांच करने का निर्देश दिया गया था और दिनांक 30 ज्लाई, 1992 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्त्त करने का निर्देश दिया गया था। ओ. ए. ने फ्लोमोर के प्नरुद्धार में रुचि दिखाने वाले पक्षों से प्रस्ताव आमंत्रित किए और 15 मई, 1992 से पहले अपने प्नरुद्धार प्रस्ताव प्रस्त्त करने का अन्रोध किया। प्रथम अपीलार्थी (संक्षेप में, 'एस. आर. एफ.'), प्रथम प्रतिवादी (संक्षेप में, 'गारवेयर') और असम एस्बेस्टस लिमिटेड (संक्षेप में, 'ए. ए. एल.') ने अपनी-अपनी योजनाएं प्रस्त्त कीं। गारवेयर और ए. ए. एल. दवारा 15.7.92 (तीन विस्तार की मांग के बाद) को प्रस्तृत की गई योजनाएं 'स्टैंड अलोन' आधार पर थीं, जबकि एस. आर.

एफ. दवारा प्रस्तृत की गई योजना एस. आर. एफ. के साथ फ्लोमोर के "विलय" के लिए थी। बी. आई. एफ. आर. दवारा गारवेयर सहित सभी पक्षों को नोटिस भेजने के बावजूद कि उन्हें 5 अक्टूबर, 1992 को उनकी संबंधित योजनाओं पर स्ना जाएगा और उनके द्वारा इस तरह के नोटिस प्राप्त होने के बावजूद, गारवेयर उपस्थित नहीं हुए। एस. आर. एफ. और ए. ए. एल. का प्रतिनिधित्व को उनके एजेंटों के माध्यम से प्रतिनिधित्व करते ह्ये स्ना गया था। 5 अक्टूबर, 1992 को बी. आई. एफ. आर. ने एस. आर. एफ. और ए. ए. एल. और अन्य सभी बोलीदाताओं को 7 नवंबर, 1992 तक ओ. ए. को अपने पुनरुद्धार प्रस्तावों के साथ अपने अंतिम प्रस्ताव प्रस्त्त करने के लिए और समय दिया ताकि वे 13 अक्टूबर, 1992 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्त्त कर सकें। ओ. ए. ने स्नवाई में कहा था कि एस. आर. एफ., गारवारे और ए. ए. एल. ने प्रस्तावों की प्राप्ति से पहले ही फ्लोमोर का तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन श्रू कर दिया था और "बैंकों और संस्थानों की संयुक्त बैठक में आम सहमति थी कि केवल एस. आर. एफ. के साथ इकाई के विलय के आधार पर मेसर्स एस. आर. एफ. लिमिटेड का प्रस्ताव स्वीकार्य था।" बी. आई. एफ. आर. ने पैरा 10 में एक आदेश पारित किया जिसमें कहा गया है कि ए. ए. एल. के प्रतिनिधि 15 अक्टूबर, 1992 तक बेंच और ओ. ए. को उसकी कंपनी के प्नर्वास के लिए विस्तृत प्रस्ताव जो उनकी प्रौद्योगिकी के स्रोत

और उसमें शामिल व्यय का संकेत देते हैं,की एक प्रति के साथ बैंकों और संस्थानों को प्रस्त्त करेंगे। ओ. ए. को विभिन्न उत्पादों के निर्माण, प्रसंस्करण स्विधाओं का विवरण, बकाया आदि के विभाजन के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित प्रौद्योगिकी पर विस्तृत अधिकार देने का निर्देश दिया गया। इकाई के प्नरुद्धार के लिए सभी प्रस्ताव यदि अव्यवहारिक पाए जाते हैं, तो ओ. ए. को प्रबंधन में परिवर्तन की संभावना का पता लगाने की आवश्यकता थी। भले ही आदेश की प्रति गारवेयर को भेजी गई थी, लेकिन इसने ओ. ए. के साथ कोई संशोधित योजना या बोर्ड को समीक्षा आवेदन दायर नहीं किया कि इसके पहले के प्रस्ताव को क्यों अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए था। 19 अक्टूबर, 1992 की कार्यवाही द्वारा, ए. ए. एल. के अन्रोध पर बी. आई. एफ. आर. ने ओ. ए. को संशोधित प्रस्ताव प्रस्त्त करने के लिए समय 7 नवंबर, 1992 तक बढ़ा दिया। यह आगे कहा गया था कि "समय का और विस्तार नहीं दिया जाएगा"। यहां तक कि इस आदेश को गारवेयर को सूचित कर दिया गया था, लेकिन इसने 7 नवंबर, 1992 तक ओ. ए. को कोई संशोधित योजना प्रस्त्त नहीं की थी। बी. आई. एफ. आर. ने 5 नवंबर, 1992 को ओ. ए. द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर गारवेयर सहित सभी पक्षों को सूचना भेजी कि वह 11 दिसंबर, 1992 को मामले की सुनवाई करेगा और अनुलग्नक-बी सभी को भेजे गए नोटिस की प्रति है। 30 नवंबर, 1992 को ओ. ए. ने एस.

आर. एफ. और ए. ए. एल. द्वारा प्रस्त्त प्नरुद्धार प्रस्ताव पर बी. आई. एफ. आर. द्वारा निर्देशित अपनी मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्त्त की। 3 दिसंबर, 1992 को गारवेयर ने ए. ए. एल. को संबोधित अपने पत्र में फ्लोमोर के प्नरुद्धार के लिए ए. ए. एल. को अपनी तकनीकी सहायता की पेशकश की। 8 दिसंबर, 1992 को ओ. ए. ने बी. आई. एफ. आर. को बैंकों और वित्तीय संस्थानों के साथ हुई संयुक्त बैठक के कार्यवृत्त के साथ अपनी रिपोर्ट प्रस्त्त की। इसलिए, यह स्पष्ट होगा कि ओ. ए. या बी. आई. एफ. आर. को अपना संशोधित प्रस्ताव प्रस्त्त करने के बजाय, गारवेयर ने फ्लोमोर के प्नरुद्धार में सहायता करने के लिए ए. ए. एल. के साथ सहमति व्यक्त की थी। बी. आई. एफ. आर. द्वारा स्नवाई के समय, 11 दिसंबर, 1992 को ए. ए. एल. ने उल्लेख किया था और बी. आई. एफ. आर. ने 3 दिसंबर, 1992 के गारवेयर के पत्र पर ध्यान दिया था, जिसमें गारवेयर ने एकल आधार पर फ्लोमोर के पुनरुद्धार के लिए ए. ए. एल. की सहायता करने का बीड़ा उठाया था, जैसा कि पेपर बुक के पृष्ठ 130 पर कार्यवाही के पैरा 3 से स्पष्ट है। हालांकि गारवारे को समय-समय पर अपनी संशोधित योजना प्रस्त्त करने का अवसर दिया जाता था, लेकिन इसने बी. आई. एफ. आर. से अलग होने का विकल्प च्ना था और ए. ए. एल. के साथ अन्बंध किया था ताकि वह अपनी तकनीकी जानकारी दे सके कि ए. ए. एल. को फ्लोमोर के प्नरुद्धार के लिए कैसे सहायता दी जाए।

11 दिसंबर 1992 को बी. आई. एफ. आर. ने एस. आर. एफ. और एएएल के प्रस्तावों पर विचार किया था। इस समय, यह ध्यान रखना प्रासंगिक हो सकता है कि एक अमेरिकी कंपनी, एटीसीओ ने भी एएएल की सहायता के लिए प्रतिनिधित्व किया और बोर्ड के समक्ष पेश ह्ई, जिसे दिसंबर 1992 तक लीड बैंक, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र के साथ 'नो लियन अकाउंट' में दस लाख अमेरिकी डॉलर की राशि जमा करने का निर्देश दिया गया था, और बाद वाले को 21 दिसंबर, 1992 तक, बीआईएफआर को चिन्हित एक प्रति के साथ ओए को सूचित करने का निर्देश दिया गया था कि क्या एटीसीओ ने उनके साथ राशि जमा की थी या नहीं। ए. ए. एल. और ए. टी. सी. ओ. को 28 दिसंबर, 1992 तक संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था, जिसमें ओ. ए. ने बी. आई. एफ. आर. को एक प्रति चिन्हित की थी, इसके अलावा 30 सितंबर, 1992 की कट ऑफ तिथि को अपनाने के बाद ओ. ए. द्वारा आवश्यक किसी भी अन्य जानकारी को उपलब्ध कराया गया था। एस. आर. एफ. को अपने संशोधित पुनरुद्धार प्रस्ताव को उपरोक्त अविध मे प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया गया था। इसके बाद बी. आई. एफ. आर. ने अंतिम आदेश में बैंको और वित्तीय संस्थानो के साथ अपनी संयुक्त बैठक के मिनटो के साथ एसआरएफ और एएएल की एक पुनरुद्धार रिपोर्ट 18 जनवरी 1993 तक जमा करने का निर्देश दिया। इसने यह भी आदेश दिया था कि "किसी भी

मामले में धन जमा करने या प्रस्ताव जमा करने के लिए समय बढ़ाने के किसी भी अन्रोध पर विचार नहीं किया जाएगा" और जैसे ही ओ. ए. ने अपनी रिपोर्ट प्रस्त्त की, वह मामले की स्नवाई करेगा। 13 जनवरी, 1993 को ओ. ए. ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। 15 फरवरी, 1993 को बी. आई. एफ. आर. ने गारवारे सहित सभी पक्षों को नोटिस भेजकर सूचित किया था कि वह 18 मार्च, 1993 (नोटिस अन्लग्नक-सी है) को मामले की स्नवाई करेगा। 18 मार्च, 1993 को गारवेयर बी. आई. एफ. आर. के सामने पेश नहीं ह्ए। बी. आई. एफ. आर. ने नोट किया कि एस. आर. एफ. और ए. ए. एल. द्वारा प्रस्तुत दो योजनाओं पर विचार किया रहा था। पक्षकारों, एस. आर. एफ., ए. ए. एल./ए. टी. सी. ओ. और फ्लोमोर को स्नने के बाद आदेश स्रक्षित रख लिया गया। इस चरण तक, एटीसीओ अपने पहले के प्रस्ताव से पीछे हट गया था और उसने पिछली कार्यवाही में दिए गए निर्देश के अन्सार राशि जमा नहीं की थी। इस प्रकार, यह स्पष्ट होगा कि बार-बार निर्देशों और नोटिसों के बावजूद, अकेले आधार पर अपने पुनरुद्धार प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के बाद, गारवेयर ने आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार अपनी मूल योजना में संशोधन के लिये न तो बीआईएफआर के निर्देशों का पालन किया और न इसमें कोई और रूचि दिखाई। अकेले आधार पर बीमार कंपनी के पुनरुद्धार के मामले में

रुचि दिखाई और न ही इसने बी. आई. एफ. आर. के समक्ष किसी भी कार्यवाही में भाग लिया।

23 अप्रैल, 1993 के आदेश द्वारा बी. आई. एफ. आर. ने एसआरएफ द्वारा प्रातावित फलोमोर के पुनरुद्धार की योजना को इस शर्त के साथ मंजूरी दे दी कि हालांकि, इसका मुख्य और महत्वपूर्ण अवगुण यह है कि इसमें आयकर अधिनियम की धारा 72 ए के तहत केंद्रीय खजाने की कीमत पर 10.17 करोड़ रूपये के विशाल कर ढाल के अलावावित्तीय संस्थानो/बैंको के लिये बह्त बडे बलिदान की परिकल्पना की गई है, जो बीमार कंपनी के पुनरुद्धार के लिए एएएल की तुलना में प्रस्ताव को बह्त मंहगा विकल्प बनाता है। पहले सात वर्षों की अवधि में लगभग 73 करोड रूपये के सकल म्नाफे की बड़ी धारा, जिसके संदर्भ में धारा 72 ए केतहत 10.17 करोड रूपये का अतिरिक्त लाभ पूरी तरह से अनुचित होगा। एस. आर. एफ. ने 23 मार्च, 1993 और 16 अप्रैल, 1993 को बी. आई. एफ. आर. के समक्ष दायर अपने पत्र में स्पष्ट रूप से धारा 72 ए के तहत लाभ को त्याग दिया। इसलिए, 4 मई, 1993 की याचिका द्वारा, एस. आर. एफ. ने 23 अप्रैल, 1993 के आदेश की समीक्षा की मांग की, जिसमें उपरोक्त दो पत्रों में अपने वचनपत्र को इंगित किया गया था और बोर्ड से आदेश में संशोधन करने का अनुरोध किया गया था। बीआईएफआर द्वारा अपने आदेश दिनांक नवंबर 1993 के जिरये त्रुटिका शुद्धिकरण किया गया था।

ऐसा करने से पहले, एस. आर. एफ. ने औद्योगिक और वित्तीय प्नर्निर्माण के लिए अपीलीय प्राधिकरण (संक्षेप में, 'अपीलीय प्राधिकारी) के समक्ष एक अपील दायर की। मई 1993 में, अपीलीय प्राधिकरण ने इस आधार पर अपील को खारिज कर दिया कि 23 अप्रैल, 1993 का आदेश केवल एक अंतरिम आदेश था। 10 जून, 1993 को आयोजित एक संयुक्त बैठक में, ओ. ए. सहित बैंक और वित्तीय संस्थान एस. आर. एफ. द्वारा प्रस्तुत विलय प्रस्ताव के लिए "सबसे उपयुक्त" के रूप में सहमत हुए और उन्होंने अपनी रिपोर्ट के अनुसार बी. आई. एफ. आर. को सिफारिश की। ए. टी. सी. ओ. ने भी अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष अपील दायर की। 7 सितंबर, 1993 को एटीसीओ के मुख्य अधिकारी ने कहा कि एटीसीओ फ्लोमोर में कोई पैसा निवेश करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए याचिका खारिज कर दी गई। इसके बाद एटीसीओ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की। जिसे भी 27 अक्टूबर, 1993 को वापस लेने के रूप में खारिज कर दिया गया था।

जैसा कि पहले कहा गया है, नवंबर 1993 की कार्यवाही द्वारा, बी. आई. एफ. आर. ने अपनी गलती को सुधार लिया था और एसआरएफ की पुनर्वास -सी-विलय योजना को स्वीकार कर लिया था और मसौदा योजनाओं के प्रसार और प्रकाशन का निर्देश दिया था और आपत्तियों या स्झावो की स्नवाई के लिये 27 जनवरी, 1994 की तारीख तय की गई। इसकी प्रति अन्लग्नक-डी गारवेयर को भी भेजी गई थी। 14 जनवरी, 1994 को गारवेयर ने 19 नवंबर, 1993 और 21 जनवरी, 1994 के आदेश के खिलाफ अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर की और सभी संबंधित लोगों की दलीलें स्नने के बाद आदेश स्रक्षित रख लिया गया। आदेश देने से पहले, गारवेयर ने बॉम्बे उच्च न्यायालय की औरंगाबाद पीठ के समक्ष रिट याचिका संख्या 354/94 दायर की, जिसका स्वीकृत रूप से कोई क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार नहीं है। उच्च न्यायालय ने कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं किया, लेकिन 8 फरवरी, 1994 को वापस करने योग्य नोटिस जारी किया। 27 जनवरी, 1994 को गारवेयर बी. आई. एफ. आर. के समक्ष पेश ह्ए और अपने प्रारंभिक प्रस्ताव को अस्वीकार करने के बाद अपने पुनरुद्धार प्रस्ताव को प्रस्तुत करने में अपनी विफलता को स्वीकार किया। 28 जनवरी, 1994 की कार्यवाही द्वारा अपीलीय प्राधिकरण ने गारवेयर की अपील को खारिज कर दिया। इसके बाद, गारवेयर ने रिट याचिका में संशोधन किया जिसे इस न्यायालय द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया था।

खंडपीठ ने रिट याचिका को मुख्य रूप से इस आधार पर स्वीकार किया कि गारवारे "एक इच्छुक व्यक्ति" है और "अकेले खड़े होने के आधार पर" फ्लोमोर के पुनरुद्वार में गहराई से रुचि रखता है। उच्च न्यायालय ने 19 नवंबर, 1993 के बी. आई. एफ. आर. के उन आदेशों को रद्द कर दिया, जो गारवेयर को बिना किसी सूचना के दिए गए थे, जिसमें कहा गया था कि यह प्राकृतिक न्याय और निष्पक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन है। विलय योजना में केंद्र सरकार या केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को नोटिसदिये बिना केंद्रीय खजाने की कीमत पर भारी वित्तीय बलिदान शामिल है और इसलिये, एसआरएफ के साथ फलोमोर (बीमार कंपनी) के पुनरूद्वार का आदेश कानून की दृष्टिसे गलत था। तदनुसार, बी. आई. एफ. आर. के 19 नवंबर, 1993 और 27 जनवरी, 1994 के आदेश और अपीलीय प्राधिकरण के 28 जनवरी 1994 के आदेश अपास्त कर दिये गये और इस मामले को कानून के अनुसार पुनर्विचार और निर्णय के लिए बी. आई. एफ. आर. को भेज दिया गया।

प्रथम अपीलार्थी के विद्वान विरष्ठ वकील श्री एफ. एस. नरीमन ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय अपने इस निष्कर्ष में पूरी तरह से अनुचित था कि गारवेयर एक इच्छुक व्यक्ति हैं और फलोमोर के पुनरुद्धार में अकेले खडे रहने के सिद्धांत के आधार पर गहरी रुचि रखता हैं। बी. आई. एफ. आर. ने अपने निष्कर्ष में उचित ठहराया कि फ्लोमोर को पुनर्जीवित करने के लिए अकेले एस. आर. एफ. मैदान में था। हालांकि गारवेयर को स्टैंड अलोन आधार पर अपनी संशोधित योजना प्रस्तुत करने के लिए कई

अवसर दिए गए थे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। गारवेयर को नोटिस देने में विफलता के लिए विलय द्वारा प्नरुद्धार को दूषित नहीं किया गया था। बी. आई. एफ. आर. द्वारा अपनी प्नरुद्धार योजना को अस्वीकार करने के बाद गारवेयर ने किसी भी समय कोई रुचि नहीं दिखाई थी, न ही उसने नए प्रस्ताव प्रस्त्त किये थे। गारवेयर के लगातार आचरण से पता चलता है कि गारवेयर कोई इच्छुक व्यक्ति नहीं है। संशोधित प्रस्ताव के साथ बीआईएफआर या ओए के समक्ष उपस्थित होने की चूक वाक्पट् और स्वंय बोलने वाली है। एएएल के साथ इसका समझौता यह दर्शाता है कि इसकी रूचि केवल म्नाफा कमाने में है। गारवेयर के पास अपने व्यापारिक प्रतिद्धंदी फ्लोमोर के प्नरुत्थान में ईमानदारी का अभाव था और अपने व्यापारिक प्रतिद्धंदी को लंबे समय तक बंद रखने का इरादा था, जैसा कि बॉम्बे उच्च न्यायालय औरंगाबाद में रिट याचिका दायर करने के उसके आचरण से स्पष्ट है, जिसका कोई क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार नहीं है, क्योंकि फ्लोमोर उत्तर प्रदेश में है और बॉम्बे उच्च न्यायालय के क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार में कार्रवाई के कारण का कोई हिस्सा उत्पन्न नहीं ह्आ था। स्वीकृत रूप से, यह एक व्यापारिक प्रतिद्धंदी है और इसका व्यापारिक हित था। यह फ्लोमोर के पुनरुद्धार को बढ़ाने में रुचि रखता है ताकि कंपनी को प्रतिस्पर्धा से दूर रखा जा सके। इसने अलग अलग तारीखो में बीआईएफआर द्वारा पारित आदेश को स्वीकार कर लिया था। इसलिए,

उच्च न्यायालय का यह निष्कर्ष सही नहीं था कि गारवेयर गहरी रुचि रखने वाले व्यक्ति थे और एकल आधार पर अपनी संशोधित योजना दायर करने का हकदार है। यह स्वीकार करते हुए कि केंद्र सरकार और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को नोटिस अनिवार्य रूप से बी. आई. एफ. आर. द्वारा दिए जाने चाहिए थे, उन्होंने तर्क दिया कि एस. आर. एफ. ने बी. आई. एफ. आर. के समक्ष धारा 72 ए के तहत के लाओं को स्पष्ट रूप से छोड़ दिया था। उच्च न्यायालय में स्नवाई के दौरान, उनके विरोधी पक्ष, श्री हरीश साल्वे ने वादा किया था और एस. आर. एफ. अभी भी इस बात पर कायम था कि प्नरुद्धार योजना 1 अप्रैल 1994 से लागू होगी। इस प्रकार, आयकर अधिनियम की धारा 70 , 71 और 72 के तहत सेट ऑफ अन्य लाभ को हाशिए पर डाल दिया जाएगा। इसलिए, राज्य के लिए कोई राजस्व हानि नहीं होगी। बैंकों और वित्तीय संस्थानों को संबंधित लेखा वर्ष के दौरान भ्गतान किए गए बकाया ऋणों पर ब्याज पर छूट का लाभ या तो फ्लोमोर को स्टैंड अलोन के आधार पर या एस. आर. एफ. को विलय के आधार पर उपलब्ध होगा क्योंकि यह कंपनी के प्नर्वास के बाद ही उत्पन्न होगा। इसलिए, राज्य को कोई राजस्व हानि या राजस्व त्याग नहीं होता है। एस. आई. सी. ए. की प्रस्तावना और प्रावधानों से संकेत मिलता है कि कंपनी का प्नरुद्धार तेजी से किया जाना चाहिए। बी. आई. एफ. आर. या अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष या अनुच्छेद 226 के तहत

न्यायालय के समक्ष कार्यवाही का मतलब शीघृता से निस्तारण से है और विलंब नहीं किया जाना चाहिये। पुनरुद्धार में देरी से श्रमिकों को बडी वित्तीय कठिनाई होगी और राज्य को राज्स्व की हानि होगी। इसलिए, इसका उपयोग व्यापार प्रतिद्धंदी द्वारा पुनर्वास को लंबा खींचने के लिए नहीं किया जाना था। बी. आई. एफ. आर. को मामले को अनावश्यक रूप से लंबा खींचे बिना, तात्कालिकता को हमेशा अपने दिमाग मे रखते हुये जांच करनी चाहिये और कार्यवाही पूरी करनी चाहिये।

गारवेयर के विद्वान विरष्ठ वकील श्री देसाई ने तर्क दिया कि एस. आई. सी. ए. के तहत बी. आई. एफ. आर. को या तो स्टैंड अलोन योजना या विलय योजना पर विचार करना होगा, जो भी बीमार कंपनी को पुनर्जीवित करने के लिए अधिक संभव हो, जब प्रबंधन में परिवर्तन फ्लोमोर (बीमार कंपनी) को पुनर्जीवित करने के लिए पर्याप्त नहीं पाया गया था। चूंकि ए. ए. एल. ने स्टैंड अलोन आधार पर अपना संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, गारवेयर ने एकल आधार पर फ्लोमोर के पुनर्वास के लिए ए. ए. एल. की सहायता करने पर सहमित व्यक्त की थी, जब बी. आई. एफ. आर. ने शुरू में एस. आर. एफ. को एकल आधार पर फ्लोमोर को पुनर्जीवित करने का आदेश दिया था, तो उसे कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन जब उसने आदेश की समीक्षा की और एस. आर. एफ. के साथ फ्लोमोर के विलय द्वारा पुनरुद्धार का निर्देश दिया, तो बी. आई. एफ.

आर. द्वारा गारवेयर को नोटिस दिया जाना चाहिए था और 23 जनवरी, 1994 के विवादित आदेश को पारित करने से पहले इसकी सुनवाई की जानी चाहिए थी। अपीलीय प्राधिकरण ने उस संबंध में समान रूप से समान स्पष्ट त्रुटि की। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि जब एक बड़ा वित्तीय त्याग किया जाना था और इसक्षेत्र में 10.17 करोड रूपये के साथ 70 करोड रूपये का अतिरिक्त लाभ एसआरएफ को आयकर अधिनियम की धारा 70 से धारा 72-ए के तहत मिलेगा, केंद्र सरकार के साथ-साथ केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को भी नोटिस देना अनिवार्य था। बिना उन्हें सूचित किए विलय द्वारा पुनरुद्धार का आदेश अपने आप में अवैध है।

संबंधित तर्को पर उत्सुकतापूर्वक विचार करने के बाद, हमारा विचार है कि श्री नरीमन के तर्क स्वीकार किये जानेयोग्य है। विचारणीय पहला प्रश्न यह है कि क्या बी. आई. एफ. आर. के समक्ष कार्यवाही का शीघ्र निस्तारण किया जाना चाहिए? एस. आई. सी. ए. की प्रस्तावना इस प्रकार है:

"लोक हित में एक अधिनियम बनाने के लिये, औद्योगिक उपक्रमों के स्वामित्व वाली बीमार और संभावित रूप से बीमार कंपनियों का समय पर पता लगाने, निवारक, सुधारात्मक, उपाचारात्मक और अन्य उपायो के विशेषज्ञों के एक बोर्ड द्वारा शीघ्र निर्धारण सुनिश्चित करने की दृष्टि से विशेष प्रावधान, ऐसी कंपनियों के संबंध में और इस प्रकार निर्धारित उपायो

के शीघ्र कार्यान्वयन और उससे जुड़े या उसके प्रासंगिक मामलो के संबंध में कदम उठाये जाने की आवश्यकता है।"

धारा 17 (1) के तहत , बोर्ड को, जांच करने के बाद, यथाशीघ्र लिखित आदेश द्वारा, यह निर्णय लेना होगा कि क्या कंपनी के लिए उचित समय के भीतर अपने नेटवर्क को संचित घाटे से अधिक बनाना व्यावहारिक है। इसी तरह, धारा 18 (1) में योजनाओं की मंजूरी की तैयारी की परिकल्पना की गई है। बोर्ड धारा 17 के तहत आदेश देते समय, संचालन एजेंसी, यथासंभव शीघ्रता से और सामान्य रूप से ऐसे आदेश की तारीख से नब्बे दिनों की अवधि के भीतर, उसके तहत गिने गए विवरणों के अनुसार एक योजना तैयार करेगी। अधिनियम की धारा 26 ने बोर्ड या अपीलीय प्राधिकरण द्वारा पारित आदेशों या अधिनियम के तहत किए गए प्रस्तावों पर दीवानी अदालत को स्पष्ट रूप से अपने अधिकार क्षेत्र से वंचित कर दिया है। इसलिये विधायी मंशा स्पष्ट हो जाती है कि बीमारया संभावित रूप से बीमार उद्योग का समय पर पता लगाया जाना चाहिये। बीमार या संभावित रूप से बीमार कंपनी के प्नरूद्धार और प्नर्वास की कार्यवाही शीघ्रता से समय सीमा के भीतर पूरी की जानी चाहिये और यदि अपरिहार्य हो, तो उसके बाद उचित समय, जैसे 6 महीने के भीतर की जानी चाहियें । कार्यवाहीयो को बीमार कंपनी या संभावित बीमार कंपनी, विशेष रूप से प्रतिद्धंदी कंपनियो द्वारा पुनर्वास को रोकने के लिये

विलंबकारी रणनीति के रूप में उपयोग करने की अनुमित नहीं दी जानी चाहिये। बोर्ड और अपीलीय प्राधिकरण और उच्च न्यायालय को प्रावधनों को लागू करना चाहिये, प्रक्रियात्मक प्रारूप का पालन करना चाहिये, समय सीमा के भीतर कार्यवाही को शीघ्रता से अंतिम रूप देना चाहिये, ताकिन केवल भूखे कामगार बिना वेतन के, जो बीमार कंपनी के पुनरूद्धार के लिये इंतजार कर रहे है, बचाया जा सकता है, लेकिन कंपनी द्वारा अनावश्यक घाटे के संचय और राज्य को होने वाले राजस्व के नुकसान से भी बचा जा सकता है।

तो सवाल यह है कि क्या गारवेयर एक इच्छुक व्यक्ति है; एसआईसीए इंगित करता है कि बोर्ड को विभिनन कदमो के साथ बीमार उदयोग के पुनर्वा के लिये एक योजना तेयार करनी होगी। धारा 16 सपिठत विनियम 21 से 25 यह निर्धारित करने के लिये बी. आई. एफ. आर. द्वारा जाँच के लिए प्रक्रिया प्रदान करती है कि क्या उद्योग एक बीमार कंपनी बन गया है। धारा 17(1) सपिठत विनियम 26 के तहत तहत अपने निष्कर्ष को दर्ज करने पर कि यह एक बीमार कंपनी बन गई है, बोर्ड को यह तय करना होगा कि क्या बीमार कंपनी की नेटवर्थ को उचित उचित समय के भीतर संचित नुकसान से अधिक करना व्यावहारिक है, जैसा कि धारा 17(1) में परिकल्पना की गई है। यदि बी. आई. एफ. आर. निर्णय लेता है कि यह इतना व्यावहारिक नहीं है, तो अगला कदम

यह होगा कि क्या धारा 18 में निर्दिष्ट किसी भी उपाय को अपनाना सार्वजनिक हित में आवश्यक या समीचीन है और किसी भी संचालन एजेंसी को धारा 18 की उपधारा (3) में दिये गये प्रावधानो और आर. बी. आई. दिशानिर्देशों के अन्सार एक योजना तैयार करने का निर्देश देना है। और बोर्ड को ओए द्वारा उस संबंधमें प्रस्त्त करने के बाद ऐसे आदेश की समीक्षा या संशोधन करने की शक्ति दी गई है जैसा कि एसआईसीए की धारा 18 (1) और (2) के तहत परिकल्पितहै। इसकी जांच और स्नवाई के बाद धारा 18 (3) और विनियम 27 से 31 के तहत परिकल्पित सभी संबंधित बाते, बोर्ड इसे अंतिम रूप देगा और योजना को मंजूरी देगा और उस तारीख को निर्दिष्ट करेगा जब स्वीकृत योजना लागू होगी जैसा कि अधिनियम की धारा 18 (4) के तहत कहा गया है। विनियम उस संबंध में प्रक्रिया प्रदान करते हैं। यह देखा गया है, जैसा कि पहले कहा गया था, कि जांच पूरी की जाएगी और बीमार कंपनी या संभावित बीमार कंपनी को प्नजीर्वित करने के लिए जितनी जल्दी हो सके निष्कर्ष निकाला जाएगा।

इसलिए सवाल यह है कि क्या बी. आई. एफ. आर. द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया कानून की किसी त्रुटि से दूषित है और गारवारे एक इच्छुक व्यक्ति है। यह देखा गया है कि गारवेयर और ए. ए. एल. ने स्टैंड अलोन आधार पर अपनी योजनाओं की पेशकश की थी। एस. आर. एफ. ने फ्लोमोर को एस. आर. एफ. के साथ विलय करके पुनर्वास की अपनी

योजना प्रस्त्त की थी। पहले दिए गए तथ्यों का वर्णन उन्हें दोहराने की आवश्यकता को स्पष्ट करता है। हालांकि यह स्पष्ट करता है कि गारवेयर को नोटिस और अवसर दिए जाने के बावजूद, बार-बार, इसने अपनी संशोधित योजना प्रस्त्त करने का विकल्प नहीं च्ना जैसा कि बी. आई. एफ. आर. द्वारा ओ. ए. के समक्ष निर्देशित किया गया था। अलग-अलग तिथियों पर बोर्ड के समक्ष उपस्थित नहीं होने में इसका लगातार आचरण यह स्थापित करता है कि, शुरू में प्रस्तुत की गई इसकी योजना को अस्वीकार करने के बाद, गारवेयर ने मामले में कोई रुचि नहीं दिखाई। दूसरी ओर, इसने अपनी तकनीकी जानकारी सहायता का विस्तार करने के लिए ए. ए. एल. के साथ एक समझौता किया था, हालांकि हर चरण में, कार्यवाही के बारे में गारवेयर को सूचित किया गया था। इसलिए, गारवेयर को बोर्ड द्वारा उठाए गए कदमों और पारित आदेशों के बारे में सूचित किया गया था। फिर भी गारवेयर ने अकेले आधार पर फ्लोमोर के प्नरुद्धार या किसी अन्य वैकल्पिक योजना में कोई रुचि नहीं दिखाई। इस प्रकार यह किसी व्यक्ति की रुचि नहीं है। गारवेयर दवारा प्रदर्शित अपने प्रारंभिक रूचि के लिए, इसने बोर्ड द्वारा पारित आदेशों में अपने आचरण को स्वीकार कर लिया था। यह सच है कि 23 अप्रैल, 1993 के आदेश में बोर्ड ने एस. आर. एफ. की विलय योजना को इस आधार पर मंजूरी देने से इनकार कर दिया कि एस. आर. एफ. को धारा 72 ए के तहत कर लाभ

का अन्चित लाभ मिलेगा आदि। आदि। और स्टैंड अलोन आधार पर प्रस्ताव प्रकाशित करने का आदेश दिया गया था। लेकिन जब इस मामले में की गई गलती को उसके संज्ञान में लाया गया, बोर्ड ने बिना किसी पक्ष को स्ने 19 नवंबर, 1993 को अपने आदेश की समीक्षा की और एस. आर. एफ. के साथ फ्लोमोर के विलय की योजना को स्वीकार कर लिया और तदन्सार योजना के मसौदा योजना के रूप में प्रकाशन के लिए ओ. ए. को निर्देश जारी किया गया। चूंकि गारवेयर ने पारित आदेश को स्वीकार कर लिया था और कोई रुचि नहीं दिखाई थी, इसलिए केवल दो व्यक्ति जो मैदान में बचे थे वे ए. ए. एल. और एस. आर. एफ. थे। ए. ए. एल. ने भी आदेश को च्नौती नहीं दी। एस. आर. एफ. निर्विवाद रूप से एक 'स्वस्थ कंपनी है और फ्लोमोर को प्नर्जीवित करने की इसकी क्षमता पर कोई संदेह नहीं था। श्रू से ही इसकी योजना फलोमोर की एसआरएफ के साथ विलय की थी। इसलिए, बोर्ड द्वारा फ्लोमोर के प्नरुद्धार के लिए एस. आर. एफ. के साथ फ्लोमोर के विलय की ओ. ए. की योजना को मंजूरी देने के आदेशों में कोई त्र्टि नहीं पाई जा सकती है। उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से यह अभिनिर्धारित करने में गलती की कि हालांकि गारवेयर खड़े रहे, फिर भी यह एक इच्छ्क व्यक्ति नहीं था और एस. आर. एफ. के साथ फ्लोमोर के विलय के लिए एस. आर. एफ. की योजना को स्वीकार करने से पहले स्नवाई का हकदार था।

यह सच है कि बोर्ड द्वारा केंद्र सरकार या केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को भी कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था । केंद्र सरकार को कर लाभ की धारा 72 ए के तहत एक आदेश पारित करने की आवश्यकता होगी और इसलिए वह स्नवाई का हकदार है। चूंकि विलय योजना, जिसे 1 अप्रैल, 1992 से प्रभावी किया गया था, में आयकर अधिनियम 1961 की धारा 70, 71 और 72 में उल्लिखित कर रियायतें और बलिदान शामिल हैं, केंद्र सरकार और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के समक्ष आवश्यक और उचित पक्ष हैं, औद्योगिक और वित्तीय प्नर्निर्माण बोर्ड को विलय योजना को अंतिम रूप देने और एक स्वस्थ कंपनी के साथ बीमार औद्योगिक कंपनी के विलय के लिए अपनी मसौदा योजना को मंजूरी देने से पहले केंद्र सरकार को नोटिस देना चाहिए था। स्वीकृत तौर पर दो पत्रों द्वारा अपीलार्थी ने आय-कर अधिनियम की धारा 72 ए के तहत लाओं का त्याग कर दिया था। अपीलार्थी के वकील ने उच्च न्यायालय में एक वचनपत्र दिया था और इस न्यायालय के समक्ष दोहराया था कि विलय योजना 1 अप्रैल 1994 से प्रभावी होगी। नतीजतन, आयकर अधिनियम की धारा 70, 71 ओर 72 के तहत सेट ऑफ का लाभ हाशिए पर डाल दिया गया है और इसलिए सरकारी खजाने को कोई बड़ा राजस्व न्कसान नहीं होगा। कोई भी मामूली लाभ स्वस्थ कंपनी के साथ विलय के प्रस्ताव के परिणामस्वरूप होगा। इन अपीलों में और उच्च न्यायालय के समक्ष, उन्हें

प्रतिवादी के रूप में शामिल किया गया है और एक वकील के माध्यम से सुना गया था, जिसने कहा है कि राज्य को राजस्व का कोई नुकसान नहीं होगा और आयकर अधिनियम की धारा 43- बी के तहत किसी भी आधार पर पुनर्जीवित कंपनी को लाभ दिया जाने के लिये बाध्य होगा। उस दृष्टि से, बोर्ड द्वारा पारित और अपीलीय प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित आदेश हस्तक्षेप के लिए कानून की किसी भी तृटि से दूषित नहीं होते हैं।

शेयरधारक द्वारा दायर की गई अपील वास्तविक प्रतीत होती है। 6 दिसंबर, 1991 की कार्यवाही द्वारा उन्हें और अन्य को सुनने के बाद, बोर्ड ने फलोमोर को एक बीमार औद्योगिक कंपनी घोषित कर दिया। 31.3.91 को समाप्त वर्ष की लेखापरीक्षित रिपोर्ट के अनुसार, रूपये 764.80 नेटवर्थ के मुकाबले संचित घाटा रूपये 1131.45 लाख रूपये केवल चुकता पूंजी के कारण कंपनी को 451.72 लाख रूपये और दिनांक 31.3.91 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान रूपया 626.60 लाख का क्रमशः नकद नुकसान हुआ है।

31.3.91 को कंपनी के पास अन्य आकस्मिक देनदारियों के अलावा वित्तीय संस्थानों और बैंकों की 2699.10 लाख की राशि थी। धारा 3(ओ) के अनुसार, बीमार औदयोगिक कंपनी का अर्थ है एक औदोयागिक कंपनी जो कम से कम पांच वर्षों के लिये पंजीकृत कंपनी हो, जिसका किसी भी वित्तीय वर्ष के अंत में कुल शुद्ध मूल्य के बराबर या उससे अधिक घाटा

ह्आ हो। उन्होने उच्च न्यायालयमें याचिका दायर करके और कार्यवाही करके फलोमोर को एक बीमार कंपनी घोषित करने वाले बीआईएफआर के आदेश को च्नौती नहीं दी थी। फलोमोर के निदेशक मंडल की रिपोर्ट और उसकी ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर धारा 16 के तहत कार्यवाही श्रू की गई। दूसरी ओर, वह बने रहे और बोर्ड द्वारा पारित अंतिम आदेश के खिलाफ अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष एक बहाने के रूप में अपील दायर करके केवल रुचि का एक म्खौटा दिखाया, जिस तारीख तक गारवेयर ने पहले ही रिट कार्यवाही श्रू कर दी थी। उसके आचरण से रूचि का मुखौटा फट गया है, जो यह देखना चाहते है कि फलोमोर, एक व्यापार प्रतिद्वंदी, को पुनजीर्वित नहीं किया जायेगा ताकि वह वह इस क्षेत्र में बाजार का एकाधिकार जारी रख सके। इसलिए, वह केवल गारवेयर के हाथों में एक पिट्टू है और अपीलीय प्राधिकरण के आदेशों के खिलाफ सीधे अन्च्छेद 136 के तहत दायर किया गया उसका विशेष अवकाश आवेदन रुपये 25 हजार की भारी लागत के साथ खारिज किए जाने के योग्य है।

तदनुसार अपीलों की स्वीकार किया जाता है। उच्च न्यायालय के आदेशों को अपास्त किया जाता है और अपीलीय प्राधिकरण और बोर्ड के आदेशों की पुष्टि रूपये 20 हजार की निर्धारित लागत के साथ की जाती है। सभी लागतों को चार सप्ताह के भीतर सर्वोच्च न्यायालय की कानूनी सहायता समिति के पास जमा किया जायेगा और चूक में, एससीएलए

समिति अपने पक्ष में एक डिक्री के रूप में उसकी वस्ती करने का हकदार होगी।

अपीले स्वीकार की गई।

आर. पी.

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास'** की सहायता से अन्वादक अधिवक्ता नृपेन्द्र सिनसिनवार द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।